

**बिहार सरकार**  
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**  
**भू-अर्जन निदेशालय, बिहार, पटना**  
अधिघोषणा

संख्या-

/पटना,

दिनांक-.....

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-बड़ारी उर्फ बरान्डी बुजुर्ग चादर नं०-1, थाना-कटरा, थाना नं०-226, परगना-तिरसठ, जिला-मुजफ्फरपुर में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् बागमती बाँया तटबन्ध निर्माणार्थ सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है, इसलिये इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम-बड़ारी उर्फ बरान्डी बुजुर्ग चादर नं०-1 के भीतर भूमि का एक/कई टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कम-बेस बीघा.....×..... कट्टा .....×..... घूर .....×..... है जो 20.00 एकड़ के बराबर होता है तथा जिसका सर्वे प्लॉट संख्या एवं चौहद्दी निम्न प्रकार है -

अर्जनाधीन पूर्ण खेसरा संख्या-1157, 1158, 1159, 1390, 1391, 1392, 1394, 1395, 1396, 1409, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1442, 1485, 1489, 1544, 1549, 1550, 1551, 1560, 1603, 1604, 1605, 1606, 1611, 1747, 1748 एवं 1763 तथा अंश खेसरा संख्या-938, 953, 954, 955, 1149, 1156, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1389, 1393, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1406, 1407, 1408, 1410, 1412, 1417, 1425, 1426, 1427, 1429, 1430, 1431, 1437, 1441, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1484, 1486, 1487, 1488, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1542, 1543, 1545, 1546, 1547, 1548, 1552, 1553, 1554, 1555, 1557, 1558, 1559, 1561, 1566, 1567, 1569, 1572, 1573, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1584, 1585, 1586, 1587, 1601, 1602, 1607, 1608, 1609, 1610, 1612, 1740, 1745, 1746, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1755, 1761, 1762, 1764, 1765, 1768, 1769, 1770,  $\frac{1540}{3947}$ ,  $\frac{1614}{3994}$ , एवं  $\frac{1601}{4012}$

चौहद्दी

"खण्ड-क"

उत्तर-

सीमा रेखा ग्राम अघरी रायपुर अघरी, परगना बरैल, थाना नं०-229.

दक्षिण-

पूर्ण सर्वे खेसरा संख्या-1541.

पूरब-

अंश सर्वे खेसरा संख्या-  $\frac{1601}{4012}$  , 3994, 1612, 1610, 1609, 1608, 1607, 1586, 1585, 1584, 1580, 1576, 1573, 1572, 1569, 1567, 1566, 1561, 1557, 1554, 1555, 1543 एवं 1542 तथा पूर्ण सर्वे खेसरा संख्या-1556.

पश्चिम-

अंश सर्वे खेसरा संख्या-  $\frac{1601}{4012}$  , 1601, 1602, 1586, 1587, 1579, 1578, 1561, 1560, 1559, 1558, 1553, 1552, 1548, 1547, 1546 एवं 1542 तथा पूर्ण सर्वे खेसरा संख्या-1541.

खण्ड- 'ख'

उत्तर-

पूर्ण सर्वे खेसरा संख्या-1541.

दक्षिण-

पूर्ण सर्वे खेसरा संख्या-1541.

पूरब-

पूर्ण सर्वे खेसरा संख्या-1541

पश्चिम-

अंश सर्वे खेसरा संख्या-938, 953, 954 एवं 955.

खण्ड- 'ग'

उत्तर-

पूर्ण सर्वे खेसरा संख्या-1541.

दक्षिण-

अंश सर्वे खेसरा संख्या-1486 एवं 1160.

पूरब-

अंश सर्वे खेसरा संख्या-  $\frac{1540}{3967}$  , 1495, 1494, 1493, 1492, 1491, 1490, 1488 एवं 1487.

पश्चिम-

अंश सर्वे खेसरा संख्या-1160, 1149, 1161, 1189, 1156 एवं 1190.

खण्ड- 'घ'

उत्तर-

अंश सर्वे खेसरा संख्या-1160, 1484, 1486, 1446, 1443, 1447, 1431, 1408, 1407, 1406, 1400, 1401 एवं 1493.

दक्षिण-

अंश सर्वे खेसरा संख्या-1161, 1160, 1162, 1163, 1164, 1445, 1444, 1441, 1437, 1425, 1426, 1427, 1429, 1417, 1430, 1412, 1410, 1409, 1399, 1398, 1397 एवं 1389.

पूरब-

अंश सर्वे खेसरा संख्या-1493, 1401, 1400, 1406, 1407, 1408, 1431, 1447, 1443, 1446, 1486, 1484 तथा पूर्ण सर्वे खेसरा संख्या-1541.

पश्चिम-

अंश सर्वे खेसरा संख्या-1389, 1397, 1398, 1399, 1409, 1410, 1412, 1430, 1417, 1429, 1427, 1426, 1425, 1437, 1444, 1441, 1445, 1164, 1163, 1162, 1160 एवं 1161.

खण्ड- 'ड.'

- उत्तर- अंश सर्वे खेसरा संख्या-1740, 1746, 1745, 1749, 1750 एवं 1751 तथा पूर्ण सर्वे खेसरा संख्या-3931.
- दक्षिण- अंश सर्वे खेसरा संख्या-1749, 1750, 1755, 1753, 1752, 1751, 1761, 1762, 1764, 1765, 1768, 1769 एवं 1770 तथा पूर्ण सर्वे खेसरा संख्या-3931.
- पूरब- सीमा रेखा ग्राम-तेहवारा, थाना नं०-217 एवं पूर्ण सर्वे खेसरा संख्या-3931 तथा अंश सर्वे खेसरा संख्या-1751, 1750, 1749, 1745, 1746 एवं 1740.
- पश्चिम- अंश सर्वे खेसरा संख्या-1770, 1769, 1768, 1765, 1764, 1762, 1761, 1751, 1752, 1753, 1750 एवं 1749.

यह घोषणा अधिनियम 1, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन तथा बिहार अधिनियम-11, 1961 द्वारा संशोधित, उन सभी व्यक्तियों के लिये जारी की जाती है जिनका इससे संबंध है।

भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, गंडक योजना, मुजफ्फरपुर के कार्यालय में कार्य दिवस को देखा जा सकता है।

 कानूनगो  
 विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी  
 अपर समाहर्ता  
 समाहर्ता  
बिहार राज्यपाल के आदेश से पदेन अवर सचिव

मुजफ्फरपुर गंडक योजना, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर आदेश से पदेन अवर सचिव

(कानूनगो) (विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी) (अपर समाहर्ता) (समाहर्ता) (आजमगढ़)

संख्या- 1442/RTD /पटना,

दिनांक- 30-05-13

प्रतिलिपि: -

1. उपसमाहर्ता, प्रमारी जिला गजट शाखा, मुजफ्फरपुर को जिला गजट के अगले असाधारण अंक .....  
....., दिनांक..... में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित दस अतिरिक्त प्रतियाँ विशेष  
भू-अर्जन कार्यालय, गंडक योजना, मुजफ्फरपुर को यथा शीघ्र भेजने हेतु प्रेषित।

ह०

सरकार के अवर सचिव

संख्या- /पटना, दिनांक-.....

2. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग बिहार पटना को तीन प्रतियों में दो दैनिक स्थानीय समाचारपत्रों में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशन की सूचना हेतु प्रेषित।

ह0

सरकार के अवर सचिव

संख्या- /पटना, दिनांक-.....

3. विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, गंडक योजना, मुजफ्फरपुर को उनके पत्रांक ..... दिनांक..... के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

ह0

सरकार के अवर सचिव

संख्या- /पटना, दिनांक-.....

4. आयुक्त के सचिव, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को उनके पत्रांक ..... दिनांक ..... के क्रम में सूचनार्थ।

ह0

सरकार के अवर सचिव

संख्या- /पटना, दिनांक-.....

5. समाहर्ता, मुजफ्फरपुर को उनके पत्रांक ..... दिनांक..... के क्रम में सूचनार्थ।

अवर सचिव

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

बिहार, पटना।